न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री सुनील कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	जी0सी0एम0एस0 नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
148 / 2023 / प्रार्थना पत्र	2023 / 169	15.06.2023	06.08.2025

अनवान

सोहनलाल पिता माना कुम्हार निवासी रूपपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
– प्रार्थी

:: बनाम ::

1– हेमा पिता रायमल भील निवासी रूपपुरा तहसील शाहुपरा जिला भीलवाड़ा
2– तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
–विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थिति – श्री अक्षयराजा रेबारी –अभिभाषक प्रार्थीगण
विपक्षी सं0 1 –एकतरफा कार्यावाही
पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार ग्राम रूपपुरा पटवार हल्का रूपपुरा भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र तहनाल तहसील शाहपुरा के खाता संख्या 491 में आराजी नम्बर 557, 557 / 2101 प्रार्थीगणों के खातेदारी अधिकार, कब्जे काश्त की स्थित है। एवं प्रार्थीगण के खातेदारी खसरान में आने जाने हेतु कोई स्थाई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण अपनी कृषि आराजियात पर फसल काश्त करने हेतु बैलगाडी ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने हेतु सराकारी रास्ता आराजी संख्या 545 में से होते हुए बिलानाम भूमि आराजी नम्बर 559 से होकर विपक्षी संख्या 01 की आराजी संख्या 558 के कुछ हिस्से पर से होते हुए बिलानाम भूमि 556 से होकर स्वंय की आराजियात पर पहुंचते है। लेकिन विपक्षी संख्या 01 ने सरकारी आराजी संख्या 559 भूमि के कुछ हिस्से पर अतिक्रमण कर आराजी संख्या 559, 558 के बीच में सीमेंट के पीलर लगाकर व तारबंदी की जाकर प्रार्थी के रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है। इसीलिए प्रार्थी को आराजी सं. 559, 558 व 556 में से 15 फीट चौड़ा नवीन रास्ता बाबत प्रकरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है। प्रार्थी के पास उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के खातेदारी खसरान में पहुंच हेतु विपक्षीगण के स्वामित्व की आराजी संख्या 559, 558 व 556 में से 15 फीट नया रास्ता दिलाया जावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन कारण दर्शित करते हेतु तलब किया गया। विपक्षीगण के विरूद्ध जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ, जिसे रेकार्ड पर लिया गया।

विपक्षीगण सं. 01 बावजूद सम्मन तामिल के उपस्थित नहीं होने से विपक्षी संख्या 01 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। राज्य पक्ष की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार शहपुरा को जरिये पत्र यह निर्देश दिये गये कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, निमयानुसार नवीन रास्ता कायमी के प्रस्ताव भिजवाया जावे। जिसकी अनुपालना में

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा (राज.)

तहसीलदार शाहपुरा द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ रिपोर्ट भू0अ0निरीक्षक, मौका पर्चा, नजरी नक्शा, जमाबंदी आदि प्रस्तुत किये।

प्रकरण में भू0अ0निरीक्षक तहनाल से प्राप्त मौका रिपोर्ट से अवगत कराया कि प्रार्थी स्वयं की आराजी खसरा संख्या 557/2101 पर पहुंच हेतु आराजी नम्बर 559, 558 व 556 में रास्ता चाहता है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम व लघुतम है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी की आराजी पर पहुंच हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा आराजी नम्बर 558, 559 व 556 में से चाहा गया रास्ता दिया जाना नितान्त आवश्यक है।

तहसीलदार द्वारा ग्राम रूपपुरा पटवार हल्का रूपपुरा भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र तहनाल तहसील शाहुपरा स्थित विपक्षीगण संख्या 01 की खातेदारी की भूमि आराजी संख्या 558 रकबा 1.09 है0 में से नवीन रास्ता हेतु 0.0076 हैक्टेयर(38 मीटर गुणा 2 मीटर) बिलानाम आराजी नम्बर 559 रकबा 0.42 है0 में से नवीन रास्ते हेतु 0.0908 हैक्टेयर(68 मीटर गुणा 5 मीटर, 24 मीटर गुणा 5 मीटर, 56 मीटर गुणा 3 मीटर, 18 फीट गुणा 7 मीटर, 11 गुणा 14 मीटर) एवं आराजी नम्बर 556 रकबा 0.438 है0 में से नवीन रास्ते हेतु 0.0240 हैक्टेयर(48 मीटर गुणा 5 मीटर) कुल किता 3 रकबा 0.1224 हैक्टेयर(1224 वर्ग मीटर) भूमि नवीन मार्ग के लिए प्रस्तावित की गई है।

प्रार्थीगण को नियुक्त विद्वान अभिभाषक ने बहस में अपने अभिवचनों/तर्कों से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया। एवं तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रास्ता प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए प्रस्ताव अनुसार रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिन्तन एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है किः–
प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी पर पहुंच हेतु कोई स्थाई मार्ग मौके पर मौजूद नहीं है। एवं रिपोर्ट भू0अ0निरीक्षक से यह अवगत कराया गया है किः–

1. प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना नितान्त आवश्यक है।
2. प्रार्थीगण के पास चाहे गये मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है।
3. प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता निकटम एवं लघुत्तम है।

उपरोक्त विवचेन से स्पष्ट है प्रार्थीगण की पर पहुंच खातेदारी आराजी पर पहुंच वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है एवं प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है। तथा प्रस्तावित रास्ता निकटतम एवं लघुत्तम है। अतः ग्राम रूपपुरा पटवार हल्का रूपपुरा स्थित विपक्षीगण संख्या 01 की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 558 रकबा 1.09 है0 में से नवीन रास्ता हेतु 0.0076 हैक्टेयर(38 मीटर गुणा 2 मीटर/72 वर्ग मीटर) बिलानाम आराजी नम्बर 559 रकबा 0.42 है0 में से नवीन रास्ते हेतु 0.0908 हैक्टेयर(68 मीटर गुणा 5 मीटर, 24 मीटर गुणा 5 मीटर, 56 मीटर गुणा 3 मीटर, 18 फीट गुणा 7 मीटर, 11 गुणा 14 मीटर/908 वर्ग मीटर) एवं आराजी नम्बर 556 रकबा 0.438 है0 में से नवीन रास्ते हेतु 0. 0240 हैक्टेयर(48 मीटर गुणा 5 मीटर/240 वर्गमीटर) कुल किता 3 रकबा 0.1224 हैक्टेयर(1224 वर्ग मीटर) भूमि रास्ता कायमी का यह प्रकरण न्यायालय न्यायोचित मानता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थीगण विरूद्ध विपक्षीगण इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम रूपपुरा पटवार हल्का रूपपुरा भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र तहनाल तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा स्थित विपक्षीगण संख्या 01 की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 558 रकबा 1.09 है0 में से नवीन रास्ता हेतु 0.0076 हैक्टेयर(38 मीटर गुणा 2 मीटर/72 वर्ग मीटर) विपक्षीगण सं0 02 के खातेदारी भूमि बिलानाम आराजी नम्बर 559 रकबा 0.42 है0 में से नवीन रास्ते हेतु 0.0908 हैक्टेयर(68 मीटर गुणा 5 मीटर, 24 मीटर गुणा 5 मीटर, 56 मीटर गुणा 3 मीटर, 18 फीट गुणा 7 मीटर, 11 गुणा 14 मीटर/908 वर्ग मीटर) एवं आराजी नम्बर 556 रकबा 0.438 है0 में से नवीन रास्ते हेतु 0.0240 हैक्टेयर(48 मीटर गुणा 5 मीटर/240 वर्गमीटर) कुल किता 3 रकबा 0.1224 हैक्टेयर(1224 वर्ग मीटर) भूमि की वर्तमान में तहसील शाहपुरा में प्रचलित डी.एल.सी. दर अनुसार मालियत की 2 गुना राशि

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला- भीलवाड़ा (राज.)

अप्रार्थी के पक्ष में अदायगी/भुगतान किये जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार शाहपुरा के यहां जमा कराये जाने के उपरान्त मुताबिक प्रस्ताव राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता दर्ज किये जाने एवं नक्शें में तरमीम के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। उक्त आराजी का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर नक्शे में तरमीम किया जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 06.08.2025 सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

(सुनील कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा

प्रतिलिपि :-

तहसीलदार शाहपुरा पास भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर नक्शे में तरमीम किया जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा